भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3033** जिसका उत्तर

गुरूवार, 12 **मार्च**, 2020/22 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

भारतीय नौवहन निगम की बिक्री

3033. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) के विनिवेश का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितना प्रतिशत शेयर बेचा जाएगा;

(ख) क्या सरकार ने एससीआई की सभी संपत्तियों के मूल्यांकन हेतु संपत्ति के मूल्य आंकलनकर्ताओं को नियुक्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संपत्ति के मूल्य आंकलनकर्ताओं ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एससीआई के विनिवेश से पहले सरकार द्वारा सभी हितधारकों के साथ-साथ कर्मचारी संघों से परामर्श करने की संभावना है और यदि हां, तो इस संबंध में हितधारकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इसके कब तक विनिवेश करने की संभावना है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क): जी हां, भारत सरकार ने भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) का विनिवेश करने का निर्णय लिया है। दिनांक 20 नवंबर, 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) का प्रबंध नियंत्रण एक अनुकूल क्रेता को हस्तांतरित किए जाने सहित इसमें भारत सरकार की 63.75% हिस्सेदारी के युक्तिपूर्ण विनिवेश हेतु अपनी 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान कर दी थी।

(ख) से (ङ): निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने मैसर्स आरबीएसए कैपिटल एडवाइजर एलएलपी को लेनदेन सलाहकार (टीए), मैसर्स लूथरा एंड लूथरा पार्टनर्स को कानूनी सलाहकार (एलए) तथा मैसर्स प्रोटोकॉल इंस्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स प्रा.लि. को संपत्ति के मूल्य आंकलनकर्ता नियुक्त किया है।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति के मूल्य आंकलनकर्ता तथा लेनदेन सलाहकार भावी बोलीकर्ताओं द्वारा वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करते समय, सरकार द्वारा आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लगभग बराबर अपनी संपत्ति मूल्य आंकलन रिपोर्ट और कारोबार मूल्य आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

******